



Neutral Citation No. - 2026:AHC:51616-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 16406 वर्ष 2013

एम/एस सुभाष ग्राम उद्योग एवं अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

भारत संघ, सचिव के माध्यम से एवं अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : पी.के. सिंह

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई. (2013/6511), सी.एस.सी., मधुर प्रकाश,
राजेश त्रिपाठी

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. प्रस्तुत रिट याचिका 'इस उच्च न्यायालय में लंबित सबसे प्राचीन वादों की श्रेणी, प्राथमिकता से सुनवाई हेतु' में सूचीबद्ध है।
2. याचिकाकर्तागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. यह रिट याचिका वर्ष 2013 में दायर की गई थी, जिसके माध्यम से प्रत्यर्था संख्या 3 के प्राधिकारी द्वारा दिनांक 09.11.2010 को पारित ईंधन आपूर्ति समझौता के निरस्तीकरण आदेश को चुनौती दी गई थी।
4. जब यह रिट याचिका दिनांक 21.03.2013 को इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुई, तब प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता को प्रतिउत्तर शपथ-पत्र दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया गया तथा यह अवलोकन किया गया कि चूंकि ईंधन आपूर्ति समझौता दिनांक 09.11.2010 को ही समाप्त कर दिया गया था, अतः अंतरिम आदेश प्रदान किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है और स्थगन प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया।
5. प्रतीत होता है कि ईंधन आपूर्ति समझौता वर्ष 2010 में समाप्त किए जाने तथा किसी प्रकार का अंतरिम आदेश न होने के कारण समय के अत्यधिक व्यतीत हो जाने से याचिकाकर्तागण की

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस याचिका में रुचि समाप्त हो गई है; अतः याचिका को अभियोजन के अभाव में **निरस्त** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

दिनांक : 13 मार्च 2026

एन.डी.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।